

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 412]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 18, 2017/आश्विन 26, 1939

No. 412]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2017/ASVINA 26, 1939

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2017

**सं. 18-12/2017-सोवा-रिग्पा (एम.एस.आर).-** भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से सोवा रिग्पा चिकित्सा पद्धति में शिक्षा हेतु महाविद्यालयों की अपेक्षाओं का नियमन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:-**(1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय सोवा रिग्पा महाविद्यालयों और संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की अपेक्षाएं) विनियम, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषा:-** (1) इन विनियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) 'अधिनियम' से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) अभिप्रेत है;

(ख) 'महाविद्यालय' से स्नातक पूर्व सोवा रिग्पा महाविद्यालय या संस्थान अभिप्रेत है;

(ग) 'संलग्न अस्पताल' से सोवा रिग्पा महाविद्यालय से संलग्न शिक्षण सोवा रिग्पा अस्पताल अभिप्रेत है;

(घ) 'केन्द्रीय परिषद्' से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अभिप्रेत है।

(2) यहां पर प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो यहाँ परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, का अभिप्राय अधिनियम में उनके लिए दिए गए अर्थ से होगा।

**3. अनुमति हेतु न्यूनतम मानक की अपेक्षाएं:-** (1) (क) अधिनियम की धारा 13क के अधीन स्थापित सोवा रिग्पा कॉलेज एवं धारा 13ग के अधीन वर्तमान महाविद्यालय और उनसे संलग्न अस्पताल, विनियम 4 से 11 में निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे एवं शिक्षण और प्रशिक्षण सुविधाओं के न्यूनतम मानक की अपेक्षाओं को आगामी शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर, तक पूरा करेंगे;

(ख) अनुमति की समाप्ति से तीन माह पूर्व केन्द्रीय परिषद् अपनी ओर से महाविद्यालय का परिदर्शन करेगी;

(ग) केन्द्रीय परिषद् द्वारा समय समय पर जारी परिदर्शको हेतु दिशा निर्देशों के अनुसार महाविद्यालयों को केन्द्रीय परिषद् द्वारा इनकी वेब साइट पर परिदर्शन हेतु यथा निर्दिष्ट प्रोफार्मा ऑन लाइन भरना होगा तथा परिदर्शको को क्रमशः इसकी हार्ड कॉपी प्रस्तुत करनी होगी;

(घ) परिदर्शन के दौरान परिदर्शक द्वारा कर्मचारी-वृन्द तथा आधारभूत संरचना की विडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी तैयार की जाएगी तथा इसे विस्तृत प्रतिवेदन तथा प्रेक्षण के साथ केन्द्रीय परिषद् को प्रस्तुत कराएगा;

(ङ.) परिदर्शक द्वारा केन्द्रीय परिषद् को विस्तृत प्रतिवेदन तथा प्रेक्षण ऑन लाइन प्रस्तुत करने के पश्चात्, केन्द्रीय परिषद् परिदर्शको द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से एक माह की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को विस्तृत प्रतिवेदन सहित अपनी संस्तुति भेजेगी;

(च) केन्द्रीय परिषद् प्रमाणित करेगी कि महाविद्यालय में विद्यमान शिक्षण संकाय किसी अन्य स्थान पर कार्यरत नहीं है;

(छ) विनियम 7 के उपविनियम (2) को छोड़कर इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के मूल्यांकन हेतु परिदर्शन की तिथि को अभिभावी स्थिति पर महाविद्यालय को सशर्त अनुमति अथवा पाँच वर्षों की अवधि हेतु अनुमति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

**(2) पाँच वर्ष की अवधि के लिए अनुमति प्रदान हेतु न्यूनतम मानक की अपेक्षाएं-**

(क) महाविद्यालय द्वारा इन विनियमों के अनुसार अपेक्षाओं की पूर्ति के पश्चात् पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रवेश लेने के लिए अनुमति दी जाएगी। किसी शिकायत के प्राप्त होने पर, अथवा केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय परिषद् द्वारा यथा अपेक्षित उक्त अवधि के भीतर महाविद्यालय का यादृच्छिक निरीक्षण किया जाएगा;

(ख) उक्त अवधि के भीतर किसी कमी के पाये जाने पर महाविद्यालय द्वारा इसे एक सौ पचास दिन के भीतर केन्द्रीय परिषद् को सूचित करते हुए पूरा किया जाएगा। अन्यथा पाँच वर्ष की अवधि के लिए अनुमति को वापस लिया गया समझा जाएगा;

- (3) एक वर्ष की सशर्त अनुमति प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक की अपेक्षाएं- किसी विशिष्ट शैक्षिक सत्र हेतु एक वर्ष की सशर्त अनुमति मात्र उन महाविद्यालयों को प्रदान की जाएगी जो कि आगामी शैक्षिक सत्र हेतु 31 दिसम्बर से 31 मार्च के बीच केन्द्रीय परिषद् द्वारा निरीक्षण के आधार पर निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं;
- (i) अनुसूची- V में यथा विनिर्दिष्ट अध्यापकों की अपेक्षा;
  - (ii) विनियम 7 के उप विनियम (2) के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट शिक्षण अस्पताल की अपेक्षा;
  - (iii) अनुसूची-VII में यथा विनिर्दिष्ट उपकरणों की आवश्यकता की न्यूनतम पिचहत्तर प्रतिशत की उपलब्धता;
4. भूमि की अपेक्षा:- (1) इन विनियमों के अधीन पन्द्रह स्थानों की प्रवेश क्षमता वाले आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं संलग्न अस्पताल और अन्य आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक कुल निर्मित क्षेत्र कम से कम एक एकड़ के एक प्लॉट पर उपलब्ध हो।
- (2) कुल निर्माण क्षेत्र, अनुमेय तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) या फ्लोर स्पेस इंडेक्स(एफ.एस.आई.) सक्षम प्राधिकारी या स्थानीय कानूनों या नियमों द्वारा दी गई अनुमति पर आधारित होगा।
  - (3) केन्द्रीय सरकार की अनुमति के लिए आवेदन करते समय स्थानीय नगर निगम का अधिकारिक प्रमाण पत्र जो यह प्रमाणित अथवा अनुमोदित करता हो कि भवनों का निर्माण एवं उनका निर्माण क्षेत्र अनुसूची-I और अनुसूची-II के अनुसार है और यह भवन भूमि के टुकड़े में समाहित हो सकते हैं, संलग्न होना चाहिए।
  - (4) भूमि महाविद्यालय के स्वामित्व में होनी चाहिए या महाविद्यालय के नाम पर निम्नानुवर्ष से अन्यून या सम्बन्धित राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र के नियमों अथवा विनियमों के अनुसार अधिकतम अनुमति अवधि के पट्टे पर होनी चाहिए। अनुमति का नवीनीकरण तथापि पट्टे की समाप्ति पर होगा।
  - (5) इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व स्थापित महाविद्यालयों के लिए भूमि के आकार तथा स्वामित्व की अपेक्षा लागू नहीं होगी। किन्तु पट्टे की समाप्ति पर, इन महाविद्यालयों को या तो भूमि को अपने स्वामित्व में लेना होगा अथवा महाविद्यालय के नाम पर निम्नानुवर्ष या संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र के नियमों अथवा विनियमों के अनुसार अधिकतम अनुमति अवधि के पट्टे पर होनी चाहिए।
5. न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की अपेक्षा:- (1) पन्द्रह छात्रों तक की भर्ती की क्षमता हेतु प्रत्येक महाविद्यालय और अस्पताल का निर्मित क्षेत्र छः सौ वर्ग मीटर होना चाहिए।
- (2) अनुसूची-I और अनुसूची- II में विवरणानुसार महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण अलग-अलग भवनों में किया जाना चाहिए तथा महाविद्यालय और अस्पताल के अलग अलग भवनों की अपेक्षा मात्र इस अधिसूचना की तारीख के पश्चात् स्थापित महाविद्यालयों पर लागू होगी।
  - (3) महाविद्यालय को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु, अन्य आवश्यक आधारीक संरचनाएं जैसे महाविद्यालय और अस्पताल के कर्मचारी हेतु पर्याप्त आवास, बाह्य एवं अन्तरंग खेलों की सुविधा, नागरिक एवं बिजली की सेवाएं और कार्यशाला, महाविद्यालय एवं अस्पताल के परिसर के अन्दर पर्याप्त गाड़ी-स्थान के रख रखाव का भी पालन करना होगा।
  - (4) वनौषधि उद्यान का न्यूनतम क्षेत्र अनुसूची- III में विहित अनुसार होना चाहिए।
6. प्रवेश क्षमता:- स्नातकीय पाठ्यक्रम में वार्षिक प्रवेश क्षमता पन्द्रह छात्रों के स्लैब में होगी। पन्द्रह सीटों से कम की प्रवेश क्षमता रखने वाले महाविद्यालयों को अनुसूची-I से अनुसूची-VII में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का पालन करना होगा।
7. शिक्षण अस्पताल की अपेक्षाएं:- (1) शिक्षण अस्पताल, अस्पताल स्थापित करने और संचालित करने हेतु सम्बन्धित राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण की सभी सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा और ऐसी अनुमति या निकासी की अद्यतन प्रमाणित प्रतियां केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय परिषद् को प्रस्तुत करेगा। सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य सरकार ऐसे आवेदक महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व ऐसे अनुमति या निकासी की उपलब्धता को सत्यापित करेगी।
- (2) शय्याओं की अपेक्षा, शय्या अधिभोग और बाह्य रोगी विभाग उपस्थिति:- स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु छात्रों का अनुपात शय्याओं की संख्या के साथ, अंतः रोगी विभाग में शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति क्रमशः 3:2, 40 प्रतिशत एवं 1:2 जैसा कि निम्नलिखित सारणी में दिया गया है के अनुसार होगा। सामान्य वार्ड में दो शय्याओं की दूरी डेढ़(1½) मीटर से कम नहीं होगी।

## सारणी

वार्षिक क्षमता	प्रवेश	अन्तरंग विभाग में शय्या अनुपात 3:2 पर	रूग्ण न्यूनतम छात्र-शय्या	प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत संख्या (40 प्रतिशत शय्या अधिभोग) पिछले एक वार्षिक कलैण्डर (365 दिन) में अन्तरंग रोगी विभाग में	पिछले एक वार्षिक कलैण्डर (300 दिन) में बाह्य रोगी विभाग में प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत संख्या (1:2 विद्यार्थी-रोगी अनुपात)
15 छात्रों तक		10 शय्याएं		04	30

शय्या अधिभोग की संख्या की गणना करने हेतु महाविद्यालय प्रत्येक रोगी के भर्ती होने तथा उनके निर्वर्तन की तिथि एवं समय का लेखा जोखा रखेगा। मध्यरात्री में रोगी द्वारा शय्या अधिभोग की गणना एक शय्या दिवस अधिभोग के रूप में की जाएगी। तथा यदि किसी रोगी का निर्वर्तन मध्यरात्री से पूर्व होता है तो उसे 0.5 शय्या दिवस अधिभोग के रूप में गिना जाएगा। शय्या अधिभोग की गणना हेतु निम्नलिखित सूत्र लागू होगा-

शय्या दिवस अधिभोग  $\times 100$  की संख्या

शय्याओं की संख्या  $\times$  दिवसों की संख्या

- (3) **बाह्य रोगी विभाग/अन्तरंग रोगी विभाग के रोगियों की उपस्थिति के अभिलेख का अनुरक्षण:-**  
महाविद्यालय एवं अस्पताल बाह्य रूग्ण विभाग एवं अन्तरंग रूग्ण विभाग के रोगियों का अभिलेख कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरणप्रणाली से रखरखाव करेगा। महाविद्यालय पुरुष एवं महिला बहिरंग विभाग और अन्तरंग विभाग का अभिलेख, बहिरंग विभाग और अन्तरंग विभाग के रूग्ण सम्बन्धित दस्तावेज, प्रयोगशाला और रेडियोलोजीकल जांच प्रतिवेदन, औषधि वितरण पंजिका, आहार पंजिका, अन्तरंग विभाग के रूग्णों के लिए अस्पताल कर्मचारी-वृन्द का ड्यूटी पंजिका, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि का रखरखाव विनियम 7 के उप-विनियम (2) में उल्लिखित प्रतिमानों को पूर्ण करने हेतु एवं सोवा रिग्पा अस्पताल की कार्यशीलता की यथार्थता के लिए करेगा।
- (4) **स्थान की अपेक्षा:-** पूर्ण रूप से संचालित अस्पताल में बहिरंग/अन्तरंग रोगी विभाग के अतिरिक्त स्वागत, रोगी प्रतीक्षा क्षेत्र, औषधि कक्ष, मरहम पट्टी कक्ष, नैदानिक प्रयोगशाला, रेडियोलोजी अनुभाग, अस्पताल साईड फार्मसी, रसोई, सेवाकक्ष, चिकित्सा अभिलेख कक्ष, लसा नगा थैरेपी अनुभाग, बाह्य थैरेपी (वेनेसेक्शन, मोक्सबाशन, कम्प्रेसन, मेडिशनल बॉथ, मसाज, चैनल क्लिनिजिंग थैरेपी) अनुभाग, प्रसव कक्ष, आपातकालीन कक्ष, भण्डार गृह, स्त्री एवं पुरुष अलग-अलग वार्ड, चिकित्सकों हेतु, नर्सों एवं अन्य कर्मचारियों हेतु ड्यूटी कक्ष होने चाहिए। संलग्न अस्पताल के निर्मित क्षेत्र की सुनिश्चितता अनुसूची-I के अनुसार होगी।
- (5) **बाह्य रोगी विभाग:-** अस्पताल में पुरुष एवं महिला हेतु पृथक्-पृथक् बाह्य रोगी विभाग होंगे।
- (6) **अन्तरंग रूग्ण विभाग:-** अस्पताल के अन्तरंग रूग्ण विभाग में पुरुष एवं स्त्री रोगियों के लिए पृथक्-पृथक् वार्ड होंगे।
- (7) **नैदानिक रोग निदान एवं जांच हेतु नैदानिक प्रयोगशाला :** अस्पताल के बाह्यरोगी एवं अंतःरोगी विभाग से निर्दिष्ट किये गये रोगियों पर नैत्यक, रोगात्मक, जैव रासायनिक तथा रक्त संबंधी जांच एवं सोवा रिग्पा नैदानिक तकनीकों को कार्यान्वित करने हेतु अस्पताल में अनुसूची-I, अनुसूची-II, अनुसूची-IV, अनुसूची-V, अनुसूची-VII में यथा विनिर्दिष्ट उचित आधारभूत संरचना एवं जनशक्ति सहित एक नैदानिक प्रयोगशाला होगी।
- (8) नैदानिक प्रयोगशाला एवं विकीर्ण चिकित्सा सुविधाओं की अनुपस्थिति में सोवा रिग्पा शिक्षण अस्पताल अपने रोगियों की संस्तुति निकटतम आधुनिक अस्पताल को करेगा।
- (9) **अस्पताल कर्मचारी-वृन्द:** अस्पताल के लिए न्यूनतम कर्मचारी-वृन्द की आवश्यकता अनुसूची-4 के अनुसार होगी।
8. **महाविद्यालय की आवश्यकताएं:-**(1) **शिक्षण कर्मचारी-वृन्द:** अनुसूची-5 में यथा विनिर्दिष्ट पंद्रह छात्रों के प्रवेश हेतु नियमित आधार पर नियुक्त न्यूनतम ग्यारह पूर्णकालिक शिक्षक होंगे।

- (2) (क) शिक्षको की सेवा निवृत्ति की आयु केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेश के अनुसार होगी। शिक्षकों की पात्रता के मानक पूर्ण करने वाले सेवा निवृत्त शिक्षकों को पूर्ण कालिक शिक्षक के रूप में पैंसठ वर्ष की आयु तक पुनःनियुक्त किया जा सकता है।
- (ख) प्रत्येक शिक्षक के ब्यौरे जैसे शैक्षिक अर्हता, पूर्व संस्था के नाम सहित कुल शिक्षण अनुभव, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि महाविद्यालय की वेबसाइट पर होगी।
- (ग) समस्त शिक्षको की सूची पूर्ण विवरण सहित जैसे केन्द्रीय परिषद् द्वारा आबंटित कोड, शैक्षिक अर्हता, पूर्व संस्था तथा वर्तमान संस्था के नाम सहित कुल शिक्षण अनुभव, केन्द्रीय परिषद् की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी।
- (3) **तकनीकी एवं अन्य कर्मचारी-वृन्द की अपेक्षा:** महाविद्यालय की विभिन्न इकाइयों तथा विभागों में तकनीकी तथा अन्य कर्मचारी-वृन्द अनुसूची-VI में दिये गये विवरणानुसार होगा।

9. **प्रकीर्ण अपेक्षाएं- (1) कार्यालय बल :-** अधिष्ठाता, चिकित्सा अधीक्षक तथा प्रत्येक विभाग में उनके अपने कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर की सुविधा होगी।

(2) **महाविद्यालय परिषद्:** (क) प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय अथवा चिकित्सा संस्था में एक महाविद्यालय परिषद् होगी जिसमें विभागों के अध्यक्ष सदस्य के रूप में तथा प्रधानाचार्य अथवा अधिष्ठाता अध्यक्ष के रूप में समाविष्ट हो।

(ख) पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण तैयार करने, अनुशासन पर बल देने तथा अन्य शैक्षणिक मामलों के लिए वर्ष में कम से कम चार बार महाविद्यालय परिषद् की बैठक की जायेगी।

(ग) महाविद्यालय परिषद् द्वारा संस्था में नियमित रूप से आवधिक अनुसंधान पुनरीक्षण के साथ-साथ अन्तर्विभागीय बैठकें जैसे मुख्य दौरे, सांख्यिकीय बैठकें तथा नैदानिक बैठकें भी आयोजित की जायेंगी।

(3) **महाविद्यालय की वेबसाइट:** प्रत्येक महाविद्यालय अथवा संस्थान की उसकी अपनी वेबसाइट होगी जिस पर प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में अद्यतन किया गया निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

(क) निदेशक अथवा संकायाध्यक्ष अथवा प्रधानाचार्य एवं चिकित्सा अधीक्षक का विवरण जिसमें उसका नाम, आयु, पंजीकरण संख्या, अर्हता, कार्यग्रहण की तारीख, दूरभाष/मोबाइल संख्या सहित उनका पूरा पता तथा एस.टी. डी. कोड, फेक्स तथा ई-मेल इत्यादि हों।

(ख) फोटोग्राफ, पंजीकरण संख्या, जन्मतिथि, अर्हता, अनुभव विभाग इत्यादि के साथ शिक्षण कर्मचारी-वृन्द का विवरण।

(ग) उनके अपने विभाग सहित महाविद्यालय के गैर शिक्षण कर्मचारी-वृन्द तथा चिकित्सालय कर्मचारी-वृन्द का विवरण।

(घ) स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों की स्वीकृति प्रवेश क्षमता का विवरण।

(ङ) चालू एवं गत वर्ष के लिए प्रवेश प्राप्त छात्रों की योग्यता के आधार पर एवं श्रेणी के आधार पर सूची।

(च) पिछले एक वर्ष के दौरान कोई शोध प्रकाशन।

(छ) संस्था द्वारा आयोजित सतत् किसी चिकित्सा शिक्षा (सी.एम.ई) कार्यक्रम, सम्मेलन तथा/अथवा किसी शैक्षणिक गतिविधियों का विवरण।

(ज) छात्रों एवं संकाय द्वारा प्राप्त किये गये किसी पुरस्कार एवं उपलब्धि का विवरण।

(झ) सम्बद्ध विश्वविद्यालय तथा इसके कुलपति तथा कुलसचिव का विवरण।

(ञ) पिछले एक वर्ष की सभी परीक्षाओं का परिणाम।

(ट) सभी पाठ्यक्रमों की मान्यता की ब्यौरेवार स्थिति।

(ठ) चिकित्सालय में नैदानिक सामग्री का विवरण।

(ड) महाविद्यालय की वेबसाइट केन्द्रीय परिषद् की वेबसाइट से लिंक होगी, जिसे मंत्रालय की वेबसाइट से भी लिंक किया जाएगा।

(ढ) महाविद्यालय के शिक्षण तथा गैर शिक्षण कर्मचारी-वृन्द, अस्पताल के कर्मचारी-वृन्द, छात्रों तथा बाह्य रोगी विभाग तथा अंतः रोगी विभाग में रोगियों की उपस्थिति का माह के अनुसार विश्लेषण महाविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(4) **बॉयोमेट्रिक उपस्थिति:** शिक्षण कर्मचारी-वृन्द, गैर शिक्षण महाविद्यालय के कर्मचारी-वृन्द तथा चिकित्सालय के कर्मचारी-वृन्द के लिए वेब कैमरा आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली सहित बॉयोमेट्रिक उपस्थिति रखना अनिवार्य है।

**10. नए महाविद्यालय की चरण वार विशिष्ट अपेक्षाएं -** (1) अधिनियम की धारा 13क के प्रावधान के अन्तर्गत बेचलर ऑफ सोवा रिग्पा मेडीसिन एण्ड सर्जरी (मेनपा कचुपा) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनुमति चाहने वाले सोवा रिग्पा महाविद्यालय को आधारभूत संरचना तथा जनशक्ति को निम्नवत् स्थापित करना होगा :-

**(क) महाविद्यालय छात्रों के प्रथम बैच के प्रवेश से पूर्व निम्नलिखित को रखेगा-**

- (i) आवेदन प्रस्तुत करते समय, महाविद्यालय के पास शय्याओं की उचित संख्या तथा विनियम 7 के उपविनियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाले आवेदन की तिथि से एक वर्ष से पूर्व कार्यात्मक सोवा रिग्पा चिकित्सालय के साथ विनियम 4 और 5 में यथा निर्दिष्ट एक पूर्णतः विकसित चिकित्सालय होना चाहिए।
- (ii) शिक्षण और प्रशिक्षण के प्रथम व्यावसायिक वर्ष हेतु आवश्यक विनियम 8 में यथा निर्दिष्ट अपेक्षित अर्हता सहित समस्त शिक्षकों तथा अनुसूची 6 में यथा निर्दिष्ट गैर शिक्षण कर्मचारी-वृन्द की नियुक्ति की जाएगी। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।
- (iii) चिकित्सालय के प्रचालन हेतु पुरुष तथा महिला बहिरंग विभाग में से प्रत्येक का कम से कम एक विशेषज्ञ अथवा नैदानिक (क्लीनिकल) शिक्षक तथा महाविद्यालय की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने से एक वर्ष पूर्व अथवा विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति की तिथि से, जो भी कम हो, विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा नैदानिक चिकित्सक का अनुभव शिक्षक के रूप में माना जाएगा।
- (iv) दो हजार पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें अनुसूची-VI में यथा निर्दिष्ट पंद्रह व्यक्तियों के बैठने की क्षमता और कर्मचारी-वृन्द हो।
- (v) अनुसूची-I से VII में यथा निर्दिष्ट शिक्षण के प्रथम व्यावसायिक वर्ष के लिए उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित दो व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय आवश्यक होंगे।
- (vi) एक हजार वर्गमीटर भूमि पर फैला एक उद्यान जिसमें कम से कम तीस प्रजातियों की औषधियों के पौधे लगे हों।
- (vii) अस्पताल का समस्त कर्मचारी-वृन्द अनुसूची 4 में यथा निर्दिष्ट होगा; और
- (viii) शिक्षण कर्मचारी-वृन्द, महाविद्यालय के गैर शिक्षण कर्मचारी-वृन्द तथा चिकित्सालय के कर्मचारी-वृन्द के लिए वेब कैमरा आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली सहित बायोमेट्रिक उपस्थिति रखना अनिवार्य है।

**(ख) छात्रों के द्वितीय बैच के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय निम्नलिखित को रखेगा-**

- (i) विनियम 7 के उपविनियम (2) में यथा निर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्याओं की उचित संख्या, शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाला कार्यात्मक सोवा रिग्पा चिकित्सालय होना चाहिए।
- (ii) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक वर्ष हेतु आवश्यक विनियम 8 में यथा निर्दिष्ट अपेक्षित अर्हता सहित समस्त शिक्षकों तथा अनुसूची-VI में यथा निर्दिष्ट गैर शिक्षण कर्मचारी-वृन्द की नियुक्ति की जाएगी। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।
- (iii) महाविद्यालय चिकित्सालय के प्रचालन के लिए पुरुष तथा महिला बहिरंग विभाग में से प्रत्येक में कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा एक नैदानिक (क्लीनिकल) शिक्षक।
- (iv) दो हजार पांच सौ पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें अनुसूची-VI में यथा निर्दिष्ट 30 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता और कर्मचारी-वृन्द हो।
- (v) अनुसूची-I से VII में यथा निर्दिष्ट शिक्षण के प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक वर्ष हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित तीन व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय होंगे।
- (vi) एक हजार वर्गमीटर भूमि पर फैला एक उद्यान जिसमें कम से कम चालीस प्रजातियों की औषधियों के पौधे लगे हों।

- (vii) अस्पताल का समस्त कर्मचारी-वृन्द अनुसूची-IV में यथा विनिर्दिष्ट होगा;
- (viii) फार्मसी विभाग से जुड़ी अनुसूची-II में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम क्षेत्र की एक शिक्षण औषधशाला (नगुल-चू तसो जोंग खंग) तथा गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला होगी जिसमें पाठ्यक्रम के अनुसार औषधी तैयार करने हेतु अनुसूची- VII के अनुसार उपकरण होंगे।
- (ix) शिक्षण कर्मचारी-वृन्द, गैर शिक्षण महाविद्यालय के कर्मचारी-वृन्द तथा चिकित्सालय के कर्मचारी-वृन्द हेतु वेब कैमरा आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली सहित बायोमेट्रिक उपस्थिति रखना अनिवार्य है।
- (ग) छात्रों के तीसरे बैच के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय निम्नलिखित को रखेगा-
- (i) विनियम 7 के उपविनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्याओं की उचित संख्या, शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाला कार्यात्मक सोवा रिग्पा चिकित्सालय होना चाहिए।
- (ii) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय व्यावसायिक वर्ष के लिए आवश्यक विनियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हता सहित समस्त शिक्षकों तथा अनुसूची-VI में यथा विनिर्दिष्ट गैर शिक्षण कर्मचारी-वृन्द की नियुक्ति की जाएगी। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।
- (iii) महाविद्यालय चिकित्सालय के प्रचालन हेतु पुरुष और स्त्री बहिरंग विभाग में से प्रत्येक में कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा एक नैदानिक (क्लीनिकल) शिक्षक।
- (iv) दो हजार पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें अनुसूची-VI में यथा विनिर्दिष्ट तीस व्यक्तियों के बैठने की क्षमता तथा कर्मचारी-वृन्द हो।
- (v) अनुसूची-I से VII में यथा विनिर्दिष्ट शिक्षण के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय व्यावसायिक वर्ष हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित तीन व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होंगे।
- (vi) एक हजार वर्गमीटर भूमि पर फैला एक उद्यान जिसमें कम से कम पचास प्रजातियों की औषधियों के पौधे लगे हों।
- (vii) अस्पताल का समस्त कर्मचारी-वृन्द अनुसूची-IV में यथाविनिर्दिष्ट होगा;
- (viii) फार्मसी विभाग से जुड़ी अनुसूची-II में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम क्षेत्र की एक शिक्षण औषधशाला (नगुल-चू तसो जोंग खंग) तथा गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला होगी जिसमें पाठ्यक्रम के अनुसार औषधी तैयार करने हेतु अनुसूची-VII के अनुसार उपकरण होंगे।
- (ix) शिक्षण कर्मचारी-वृन्द, गैर शिक्षण महाविद्यालय के कर्मचारी-वृन्द तथा चिकित्सालय के कर्मचारी-वृन्द हेतु वेब कैमरा आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली सहित बायोमेट्रिक उपस्थिति रखना अनिवार्य है।
- (घ) छात्रों के चतुर्थ बैच के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय निम्नलिखित को रखेगा-
- (i) विनियम 7 के उपविनियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्याओं की उचित संख्या, शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाला कार्यात्मक सोवा रिग्पा चिकित्सालय होना चाहिए।

- (ii) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ व्यावसायिक वर्ष के लिए आवश्यक विनियम VIII में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हता सहित समस्त शिक्षकों तथा अनुसूची-VI में यथा विनिर्दिष्ट गैर शिक्षण कर्मचारी-वृन्द की नियुक्ति की जाएगी।
- (iii) इन विनियमों-IV से XI में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार महाविद्यालय, अस्पताल तथा अन्य इकाईयों की समस्त आधारभूत संरचना एवं जनशक्ति की अपेक्षाएं;
- (iv) चार हजार पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें अनुसूची-VI में यथा विनिर्दिष्ट चालीस व्यक्तियों के बैठने की क्षमता और कर्मचारी-वृन्द हो।
- (अ) एक पूर्ण विकसित औषधीय पौधों का उद्यान जिसमें अनुसूची-III में यथा विनिर्दिष्ट कम से कम साठ प्रजातियों की औषधियों के पौधे लगे हों।
- (vi) अनुसूची-I से VII में यथा विनिर्दिष्ट पूर्ण क्रियात्मक प्रयोगशालाएं तथा औषध परीक्षण सुविधाओं सहित औषधशाला।
- (vii) चिकित्सालय में औषधियों, पराचिकित्सा कर्मचारी-वृन्द, चिकित्सक और आपातकाल प्रबन्धन के साथ चौबीस घंटे की चिकित्सा सेवाओं की निश्चित उपलब्धता।
- (viii) शिक्षण कर्मचारी-वृन्द, गैर शिक्षण महाविद्यालय के कर्मचारी-वृन्द तथा चिकित्सालय के कर्मचारी-वृन्द के लिए वेब कैमरा आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली सहित बायोमेट्रिक उपस्थिति रखना अनिवार्य है।
- (2) किसी नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करने तथा छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी तथा अनुमति की अवधि वार्षिक आधार पर उप विनियम (I) में यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि की जांच की शर्त पर बढ़ायी जायेगी।
- (3) यह महाविद्यालय का उत्तरदायित्व होगा कि वह अनुमति की अवधि बढ़ाये जाने के प्रयोजन के लिए नवीनीकरण प्रारम्भिक अनुमति की अवधि समाप्त होने से छः माह पूर्व केन्द्रीय परिषद् में आवेदन करे।
- (4) नवीनीकरण अनुमति की अवधि बढ़ाये जाने की यह प्रक्रिया प्रथम बैच के समापन के लिए नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के पूर्ण होने तक जारी रहेगी।
11. **उपकरण, यंत्र समूह इत्यादि की सूची-** छात्रों के लिए शिक्षण तथा प्रशिक्षण सामग्री के उचित प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए, महाविद्यालय जैसा कि अनुसूची-I से VII के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है, महाविद्यालय के शिक्षण विभाग, चिकित्सालय, प्रयोगशालाएं और शव विच्छेदन कक्ष, पुस्तकालय, औषधशाला तथा अन्य इकाईयों में अपेक्षित पर्याप्त संख्या में उपकरण यंत्र-समूह इत्यादि का न्यूनतम नब्बे प्रतिशत अपने अधिकार में रखेगा।
12. **सोवा रिग्पा महाविद्यालयों में अनुमति प्रक्रिया के पूर्ण होने की तिथि तथा प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि-** (1) सोवा रिग्पा महाविद्यालयों में प्रवेश लेने हेतु सोवा रिग्पा महाविद्यालयों को अनुमति प्रदान करने अथवा प्रदान ना करने की प्रक्रिया प्रत्येक शैक्षिक सत्र की 31 जुलाई तक पूर्ण कर ली जाएगी।
- (2) सोवा रिग्पा महाविद्यालयों में प्रवेश निर्धारित तिथि प्रत्येक शैक्षिक सत्र की 30 सितम्बर होगी।



## अनुसूची- I

( विनियम 3, विनियम 4, विनियम 5, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें )  
सोवा-रिग्पा महाविद्यालय के संलग्न चिकित्सालय की अपेक्षाएं

क्रम संख्या (1)	विवरण (2)	निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर में) 15 छात्रों तक (3)
	चिकित्सालय के भवन का कुल निर्मित क्षेत्र	600
<b>I.</b>	<b>चिकित्सालय प्रशासनिक खण्ड</b>	<b>50</b>
1.	अधीक्षक कक्ष	
2.	उप अधीक्षक कक्ष	
3.	चिकित्सा अधिकारी का कक्ष (दो आवासीय चिकित्सा अधिकारी हेतु)	
4.	मैट्रन कक्ष	
5.	सहायक मैट्रन कक्ष ( दो के लिए)	
6.	स्वागत पटल तथा पंजीकरण	
<b>II.</b>	<b>बाह्य रोगी विभाग (ओ.पी.डी.)</b>	<b>100</b>
1.	पुरुष और महिला रोगियों हेतु पृथक्-पृथक् बाह्य रोगी विभाग	
2.	प्राथमिक चिकित्सा और परिधान कक्ष	
3.	औषधालय	
4.	रोगियों के प्रतीक्षा स्थल	
5.	भण्डार-गृह	
6.	रोगियों तथा कर्मचारी-वृन्द के लिए अलग-अलग पुरुष और महिला प्रसाधन कक्ष	
<b>III.</b>	<b>अन्तरंग रोगी विभाग (आई.पी.डी.)</b>	<b>300</b>
1.	पुरुष और महिला रोगियों हेतु अलग-अलग वार्ड	
2.	चिकित्सकों का ड्यूटी कक्ष संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित	
3.	स्टाफ नर्स का ड्यूटी कक्ष संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित	
4.	लीनन इत्यादि के लिये भण्डार-गृह	
<b>IV.</b>	<b>लस नगा (बाह्य एवं कायाकल्प चिकित्सा) खंड</b>	<b>100</b>
1.	शैल (पुरुष/महिला)	
2.	शक्युग (पुरुष/महिला)	
3.	ना-मैन (पुरुष/ महिला)	

4.	जाम-तसी (पुरुष/महिला)	
5.	नी-रूहा (पुरुष/महिला)	
6.	तसा-जोंग (पुरुष/महिला)	
7.	तर, सेक आदि	
8.	लेस-नगा चिकित्सक/चिकित्सक कक्ष	
9.	लेस-नगा भण्डार-गृह	
10.	पुरुष एवं महिला हेतु संलग्न प्रसाधन कक्ष तथा स्नानगृह प्रत्येक में वॉश-बेसिन तथा गीज़र की सुविधा के साथ। ये वार्डों के प्रसाधन कक्षों के अतिरिक्त होंगे।	
<b>V.</b>	<b>अस्पताल के लिए रसोई और जलपान गृह</b>	<b>35</b>
<b>VI.</b>	<b>भण्डार-गृह/शवगृह</b>	<b>15</b>
	<b>योग</b>	<b>600</b>

**टिप्पणः**

1. उक्त निर्दिष्ट विभिन्न घटकों के बीच प्रविभाजित क्षेत्र  $\pm 20$  प्रतिशत में भिन्न हो सकता है किन्तु संलग्न चिकित्सालय का कुल क्षेत्र विनियम 5 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अनुसार होगा।
2. बाह्य रोगी विभाग सहित संलग्न शौचालय की अपेक्षा इस अधिसूचना की तारीख के पश्चात् स्थापित महाविद्यालयों हेतु लागू है।

**अनुसूची- II**

(विनियम 3, विनियम 4, विनियम 5, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें)

**सोवा-रिग्पा महाविद्यालय की अपेक्षाएं**

क्रम सं.	विवरण	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)
		<b>15 छात्रों तक</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
	<b>महाविद्यालय भवन का कुल निर्मित क्षेत्र</b>	<b>600</b>
<b>(1.)</b>	प्रशासनिक अनुभाग:- महाविद्यालय के प्रशासनिक अनुभाग में प्राचार्य कक्ष, निजी सहायक कक्ष, स्वागत पटल, मिलने वालों के लिए प्रतीक्षा कक्ष, स्टॉफ समिति कक्ष, लिपिक कक्ष, नगदी और लेखा अनुभाग, अभिलेख कक्ष, केन्द्रीय भण्डार एवं पुरुष एवं महिला के लिए अलग प्रसाधन कक्ष।	100
<b>(2.)</b>	व्याख्यान हाल: पन्द्रह सीटों तक प्रवेश हेतु न्यूनतम पच्चीस वर्गमीटर के क्षेत्र के कम से कम पांच व्याख्यान हाल होंगे जिनमें बिजली आपूर्ति, श्रव्य-दृश्य शिक्षण सहायक यंत्र, पंखे/कूलर तथा अधिमानतः थियेटर के प्रकार का आरामदायक रूप से बैठने का प्रबन्ध होगा। प्रत्येक तल पर बालक और बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक प्रसाधन कक्षों का निर्माण कराया जायेगा।	125
<b>(3.)</b>	विचार गोष्ठी अथवा सम्मेलन अथवा परीक्षा हॉल: बैठकों, विचार गोष्ठियों, सम्मेलनों, संगोष्ठी, परीक्षा, मंत्रणा इत्यादि के लिए महाविद्यालय के परिसर में एक वृहत हॉल उपलब्ध होगा जिसमें दो सौ से तीन सौ व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी। हॉल में बिजली तथा बैठने का प्रबन्ध तथा श्रव्य-दृश्य पद्धति की पर्याप्त सुविधाएं होंगी।	100

(4.)	केन्द्रीय पुस्तकालय: केन्द्रीय पुस्तकालय में कम से कम चालीस व्यक्तियों के लिए बैठने की क्षमता, शेल्फ अथवा अल्मारियों की पर्याप्त संख्या, स्टॉक रखने हेतु पर्याप्त स्थान, शिक्षकों के लिए पृथक वाचनालय, पुस्तकाध्यक्ष का कक्ष, कम्प्यूटर प्रिन्टर एवं इन्टरनेट की सुविधा सहित फोटोकॉपीअर अथवा विडियो रूम होगा। पुस्तकालय में प्रकाश का उचित प्रबन्ध, पंखे/कूलर, पेयजल का प्रबन्ध तथा प्रसाधन सुविधाएं होंगी। छात्रों के प्रथम प्रवेश के समय पुस्तकालय में सोवा रिग्पा, आधुनिक चिकित्सा तथा समवर्गी विज्ञान के विभिन्न शीर्षकों की दो हजार पुस्तकें होंगी। पुस्तकों की संख्या छात्रों के द्वितीय बैच के प्रवेश से पूर्व दो हजार पांच सौ, तृतीय बैच के प्रवेश से पूर्व तीन हजार तथा छात्रों के चतुर्थ बैच के प्रवेश से पूर्व चार हजार तक बढ़ाई जायेंगी। पांच वर्ष अथवा अधिक के लिए विद्यमान महाविद्यालय चार हजार पुस्तकें रखेगा।	100
(5.)	<b>शिक्षण विभाग:</b> छः शिक्षण विभाग होंगे जिनमें से प्रत्येक में शिक्षक एवं कर्मचारी-वृन्द के लिए कक्ष होंगे। विभाग के आधार पर क्षेत्र की आवश्यकता निम्नवत् होगी:-	
(i)	रत्सा रग्युद विभाग (सोवा-रिग्पा के मौलिक सिद्धांत एवं इतिहास)	10
(ii)	लस कई-गनस लगस एवं मत्शान नाइड (एनाटॉमी एवं फीजियोलॉजी)	20
(iii)	सब्योर वा समन एवं जी छेद समन जी मदो (फारमाकोलॉजी एवं फार्मसी)	20
(iv)	ग्नत रताक्स थप्स (पैथोलॉजी)	10
(v)	लस-नड सोवे समन एवं रत्सब रचाद (जनरल मेडिसिन एवं सर्जरी)	20
(vi)	मोनाड सोवा एवं बीस पा ग्सो वा (गायनेकोलॉजीस्ट एवं पीडियाट्रिक)	15
(6.)	<b>शिक्षण औषध निर्माण शाला तथा औषधि गुणवत्ता-परीक्षण प्रयोगशाला:</b> महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार की सोवा-रिग्पा की औषधियां तैयार करने हेतु उचित प्रशिक्षण सुविधाओं सहित एक शिक्षण औषध निर्माण शाला, एक कच्ची-औषध का भण्डार गृह तथा इन हाउस औषध पहचान कक्ष होगा। औषधालय की इन हाउस औषध परीक्षण प्रयोगशाला का उपयोग शिक्षण हेतु भी किया जाएगा।	40
(7.)	<b>छात्रों के लिए एक साधारण कक्ष:</b> छात्रों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था सहित पृथक-पृथक साधारण कक्ष उपलब्ध होंगे।	20
(8.)	<b>कैन्टीन:</b> महाविद्यालय परिसर में लगभग तीस व्यक्तियों के बैठने के प्रबन्ध सहित कैन्टीन की सुविधा उपलब्ध होगी।	20

**टिप्पण:**

- उक्त निर्दिष्ट विभिन्न घटकों के बीच प्रविभाजित क्षेत्र  $\pm 20$  प्रतिशत में भिन्न हो सकता है परन्तु एक सोवा-रिग्पा कॉलेज का कुल क्षेत्र विनियम 5 पर उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए।

**अनुसूची- III**

(विनियम 3, विनियम 5, विनियम 6, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें)

**एक सोवा-रिग्पा महाविद्यालय की समवर्गी आधारभूत संरचना की अपेक्षाएं**

क्रम सं.	विवरण	क्षेत्र (वर्ग मीटर में) 15 छात्रों तक
(1)	(2)	(3)
1.	वनौषधि उद्यान: साठ प्रजातियों के वनौषधि पौधों सहित भलीभाँति विकसित एक औषधीय पौधों का उद्यान।	1000

**टिप्पण:**

- उक्त निर्दिष्ट क्षेत्र  $\pm 20$  प्रतिशत में भिन्न हो सकता है परन्तु एक सोवा-रिग्पा महाविद्यालय का कुल क्षेत्र विनियम 4 पर विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए।

**अनुसूची- IV**

(विनियम 3, विनियम 5, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें)

**सोवा-रिग्पा महाविद्यालय चिकित्सालय के कर्मचारी-वृन्द की अपेक्षाएं**

क्रम संख्या	पद	पात्रता
(1)	(2)	(3)
1.	चिकित्सालय अधीक्षक/ उप चिकित्सा अधीक्षक	1. एक मान्यता प्राप्त डिग्री 2. प्रधानाचार्य अथवा अधिष्ठाता पदेन के रूप में संकाय। 3. यदि वहाँ चिकित्सा अधीक्षक का पद पहले से अस्तित्व में है तो वह जारी रहेगा। चिकित्सा अधीक्षक के पद हेतु पदधारी की अर्हता प्राचार्य से कम नहीं होगी।  <b>उप चिकित्सा अधीक्षक</b> 1. एक मान्यता प्राप्त उपाधि 2. शिक्षण कर्मचारी-वृन्द से भिन्न पूर्ण कालिक नियमित पदधारी।
2.	चिकित्सा अधिकारी	दो (एक पुरुष एवं एक महिला)
3.	मैट्रन या परिचारिका अधीक्षक	एक
4.	अंतः रोगी विभाग हेतु कर्मचारी-वृन्द परिचारिकाएं	प्रति 5 शैय्याओं के लिए एक
5.	वार्ड अनुकर्मी अथवा आया	प्रति 10 शैय्याओं के लिए एक
6.	भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट)	एक
7.	ड्रेसर	एक
8.	भण्डारपाल	एक
9.	कार्यालय कर्मचारी-वृन्द (पंजीकरण, अभिलेख अनुरक्षण, डाटा प्रविष्टि इत्यादि)	एक
	<b>आधुनिक चिकित्सा कर्मचारी-वृन्द</b>	
10.	चिकित्सा विशेषज्ञ	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
11.	विकृति विज्ञानी	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर

12.	विकिरण विज्ञानी	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
<b>लस-नगा (बाह्य एवं कायाकल्प चिकित्सा) अनुभाग</b>		
13.	लस-नगा विशेषज्ञ	लस-नड सोवे समन एवं रत्सब रचाद शिक्षण विभाग के शिक्षक
14.	लस-नगा सहायक	एक पुरुष तथा एक महिला
<b>शिक्षण औषध निर्माण शाला तथा गुणता-परीक्षण प्रयोगशाला</b>		
15.	फार्मसी प्रबन्धक	समन बजोर (फार्माक्लॉजी)का शिक्षक
16.	चपरासी अथवा परिचर	एक
17.	कर्मकार	02(आवश्यकता के आधार पर अधिक संख्या)
	कुल: दस शय्याओं के अस्पताल हेतु	उपर्युक्त के अनुसार शिक्षण विभाग के शिक्षकों को छोड़कर उन्नीस

**टिप्पण:**

1. दस से अधिक शय्याओं वाले चिकित्सालय हेतु चिकित्सा अधिकारी, सहायक मेट्रन तथा भेषजज्ञ के रूप में पदधारियों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।
2. चिकित्सालय में सुरक्षा, सिविल तथा विद्युत, सफाई का प्रबन्ध, दैनिक आहार तथा केन्टीन, धुलाई-घर तथा अपशिष्ट भस्मीकरण तथा फेंकने या नष्ट करने की सुविधाओं के पर्याप्त प्रावधान होंगे।
3. अनिवार्य ड्यूटी स्टॉफ तथा सेवाएं चौबीस घंटे उपलब्ध होंगी।
4. गैर तकनीकी कर्मचारी-वृन्द जैसे चपरासी, परिचर, सफाईवाला, चोकीदार, धोबी, माली एवं रसोईया इत्यादि की सेवाएं बहिःस्त्रोतन द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

**अनुसूची- V**

(विनियम 3, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 8, विनियम 10 और विनियम 11 देखें)

**सोवा-रिग्पा कॉलेज में शिक्षण कर्मचारी-वृन्द का ब्यौरा**

क्रं. सं. (1)	शिक्षण विभाग (2)	शिक्षण कर्मचारी-वृन्द की अपेक्षा		
		पन्द्रह छात्रों तक (3)		
		आचार्य	सह-आचार्य	सहायक आचार्य
1.	रत्सा रगयुद विभाग (सोवा-रिग्पा के मौलिक सिद्धांत एवं इतिहास)	-----	-----	1 रत्सा रगयुद और 1 भूति
2.	लस कई-गनस लगस एवं मत्शन नाइड (एनार्टोमी एवं फिजियोलॉजी)	-----	-----	1
3.	सब्योर वा समन एवं जी छेद समन जी मदो (फारमाकोलॉजी एवं फार्मसी)	1 अथवा 1	-----	2
4.	ग्नत रताक्स थप्स (पैथोलॉजी)	-----	-----	1
5.	लस-नड सोवे समन एवं रत्सब रचाद (जनरल मेडिसिन एवं सर्जरी)	1 अथवा 1	-----	2
6.	मोनाड सोवा एवं बायिस पा ग्सो बा (गायनेक्लॉजी एवं पीडियाट्रिक)	-----	-----	1
		<b>2</b>		<b>9</b>
योग				<b>11</b>

**टिप्पणः**

- I. शिक्षको की कमी प्रत्येक छः विभागो में न्यूनतम एक शिक्षक की उपलब्धता सहित कुल शिक्षको के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह छूट विशिष्ट शैक्षिक सत्र हेतु प्रवेश लेने की सशर्त अनुमति प्राप्त करने हेतु है।
- II. विभाग में जहाँ कहीं अतिरिक्त आचार्य अथवा सह-आचार्य उपलब्ध है, सह-आचार्य अथवा सहायक आचार्य की आवश्यकता हेतु अतिरिक्त आचार्य अथवा सह-आचार्य पर विचार किया जाएगा। उदाहरण-स्वरूप - पन्द्रह स्नातकीय स्थानों की प्रवेश क्षमता वाले महाविद्यालयों में, सब्योर वा समन एवं जी छेद समन जी मदो (फारमाकोलॉजी एवं फार्मसी) विभाग में एक आचार्य अथवा सह-आचार्य तथा दो सहायक आचार्य की आवश्यकता हेतु यदि वहाँ तीन आचार्य अथवा एक आचार्य एवं दो सह-आचार्य अथवा एक आचार्य, एक सह-आचार्य तथा एक सहायक आचार्य है, तो महाविद्यालय इस विभाग में संकाय की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है तथा इस विभाग में संकाय की कोई कमी नहीं है।

**अनुसूची- VI**

(विनियम 3, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 8, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें)

सोवा-रिंग्पा महाविद्यालय के तकनीकी तथा अन्य कर्मचारी-वृन्द का ब्यौरा

क्र. सं.	विभाग	पद	अपेक्षा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पुस्तकालय	पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	एक
		पुस्तकालय परिचर अथवा चपरासी	एक
2.	कॉलेज कार्यालय	प्रशासनिक एवं लेखा सेवाओं हेतु लिपिकीय कर्मचारी-वृन्द	दो
3.	वनौषधि उद्यान	माली	एक
	<b>कुल</b>		<b>पांच</b>

(सफाई कर्मचारी, परिचर, लिफ्टर, प्रयोगशाला सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर(डीईओ), बहुउद्देशीय कार्यकर्ता अनुबंध के आधार पर हो सकता है)

**अनुसूची- VII**

(विनियम 3, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 10 तथा विनियम 11 देखें)

(क) सर्जरी विभाग हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का ब्यौरा

क्र.सं.	आवश्यक उपकरण एवं यंत्र
1.	स्पॉट लाइट (शैडोलेस सीलिंग फिटेड)
2.	नीडिल होल्डिंग फारसैप्स (बड़ी-मध्यम-छोटी)
3.	एप्रन
4.	स्पेसीमेन्स जार
5.	वर्गीकृत आकार के ड्रेसिंग ड्रम
6.	ड्रम स्टैण्ड
7.	आई.वी. स्टैण्ड
8.	एक्स रे व्यू बाक्स (डबल)
9.	सर्जन गाउन
10.	मास्क एवं कैप्स
11.	गौज, कॉटन एवं बैन्डेज
12.	विभिन्न माप के ग्लब्स
13.	चीटल्स फॉरसैप्स
14.	टॉवल क्लिप्स

15.	सीधी कैंची (टेलर)
16.	विभिन्न साईज की कर्वड सीजर
17.	स्टिच रिमूवल सीजर्स
18.	डिसैक्शन फॉरसैप्स
19.	साइनस फॉरसैप्स
20.	प्रोब्स एसोर्टिड साईज
21.	पाइन्टेड सीजर्स
22.	कोचर्स फारसेप्स
23.	वर्गीकृत आकार के रबर कैथेटर्स
24.	मैटल कैथेटर
25.	केरूगेटेड रबर ड्रेन
26.	वर्गीकृत मापों के सूचरिंग नीडिल (स्ट्रेट/कर्वड)
27.	सर्जिकल थ्रैड
28.	स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स
29.	बौगीस (मेगर्स)
30.	एलीस फॉरसेप्स स्मॉल
31.	एलीस फॉरसेप्स बिग
32.	पाईल होल्डिंग फॉरसेप्स
33.	मल्टीपैरामीटर मॉनीटर
34.	अम्बू बैग
35.	जेनेरेटर
36.	इमरजेंसी लाईट
37.	फायर एक्सटिंग्विशर
38.	स्किन ग्राफिटिंग नाइफ हेन्डल सहित
39.	विभिन्न माप के सर्जिकल ब्लेड्स
40.	फ्यूमिगेटर
41.	रैफ्रिजरेटर
42.	नाइट्रस आक्साइड सिलिंडर
43.	एग्जोस्ट फैन
44.	ऑटोलेनियम वाशिंग मशीन
45.	इल्यूमिनेशन सहित अथवा इल्यूमिनेशन रहित प्रोक्टोस्कोप
46.	रिवाल्विंग स्टूल
47.	ग्रेब्रियल सिरिन्ज
48.	ट्राली सहित स्ट्रेचर
49.	मोस्कीटो फॉरसैप्स
50.	निडिल होल्डर
51.	बी.पी.एप्रेटेस
52.	सक्शन मशीन
53.	गोल्डेन निडल
54.	क्यूपिंग सेट
55.	मॉक्सबस्टन सेट
56.	गोल्डेन हेमर सेट
57.	सिल्वर हेमर सेट
58.	साजिऑग्स, धाब, चिंग (भग्न के लिए)
59.	जत्सग-बू
60.	थूर-मा (सर्जिकल यंत्र)

## (ख) समन गोर (फार्मोकोलॉजी) विभाग के लिए अपेक्षित उपकरण और यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	अनिवार्य यंत्र एवं उपकरण
1.	खत्व यंत्र
(क)	छोटा
(ख)	मध्यम
(ग)	पोर्सेलेन
(घ)	तप्त खत्व यंत्र
2	हीटिंग डिवाइज
(क)	गैस स्टोव
(ख)	इलेक्ट्रिक स्टोव
(ग)	हॉट प्लेट
(घ)	चूल्हा (चारकोल)
3	पात्र
(क)	फ्राइंग पेन
(ख)	स्टील वेसल
(ग)	स्पैटुला
(घ)	लैडल्स एवं स्पून्स
(ङ)	नाइफ
(च)	प्लेटस
(छ)	समदमस यंत्र (टोंग्स)
4	विभिन्न माप के मापक उपकरण (कांच)
5	बड़े पात्र एवं धारक
(क)	पीतल
(ख)	ताम्र
(ग)	स्टील इत्यादि
6	तुला (विभिन्न क्षमता)
(क)	फिजिकल
(ख)	केमिकल
7	पाउडिंग एप्रेटस (उलूखल यंत्र)
8	छलनी (वर्गीकृत संख्या एवं माप के)
9	वेट ग्राइंडर
10	मिक्सी
11	जूस एक्सट्रेक्टर
12	पुट (विभिन्न प्रकार के)
13	पाइरोमीटर
14	थर्मामीटर
15	प्रेसर कुकर
16	मूशा (कूसिबल्स)
17	ब्लोअर सहित कोष्ठी
18	रेफ्रीजरेटर
19	जार (पोरसेलेन) फरमनटेशन के प्रयोजन से
20	यंत्र
(क)	दोला यंत्र



(ख)	वालुका यंत्र
(ग)	पिटर यंत्र
(घ)	भूधर यंत्र इत्यादि
21	डिस्टिलेशन एप्रेटस एवं अर्क यंत्र
22	इनेमल ट्रेज
23	स्प्रीट लैम्प
24	माइक्रोस्कोप
25	मिट्टी के पात्र और बर्तन
26	कूपीपक्व भट्टी
27	भण्डारण के लिए अल्मारियां एवं रेक्स
28	विभिन्न मापों के मोर्टार एवं पेस्टल
29	छोटी ग्राइंडिंग मशीन
30	स्टोन स्लैब
31	मेडीसिनल वाइन का कंटेनर

(ग) नैदानिक प्रयोगशाला के लिए अपेक्षित उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	अनिवार्य उपकरण और यंत्र
1.	बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप
2.	एक्स रे व्यू बॉक्स
3.	स्टेराइल डिस्पोसेबल लैन्सर/निडिल
4.	एच.बी. पिपेट
5.	ड्रॉपर
6.	ग्लास रोड
7.	डब्ल्यू.बी.सी. पिपेट
8.	इम्प्रूव्ड न्योबार चैम्बर
9.	कवर स्लिप
10.	रैड सेल पिपेट
11.	साफ स्लाइड
12.	इन्क्यूबेटर
13.	सैन्ट्रिफ्यूज ग्रेजुएटी मशीन
14.	वैस्ट्रेग्रेन्स पिपेट
15.	वैस्ट्रेग्रेन्स स्टैण्ड
16.	लिटमस पेपर
17.	पीएच इन्डिकेटर पेपर स्ट्रिप्स
18.	बनसन बर्नर
19.	टेस्ट ट्यूब
20.	टेस्ट ट्यूब होल्डर
21.	फिल्टर पेपर
22.	स्टील अल्मीरा
23.	स्टील रैक
24.	विभिन्न माप के ढक्कन सहित कांच के जार
25.	ग्लास व्यू रैक
26.	मैग्नीफाइंग लैस

27.	स्टॉप वॉच
28.	हॉट एयर अवन
29.	रेफ्रिजरेटर
30.	नमूने एकत्र करने हेतु स्टेराइल वैसल/ बोतल
31.	बी.पी. एप्रेटस
32.	स्टेथेस्कॉप
33.	थर्मामीटर
34.	टंग डिप्रेसर
35.	टार्च
36.	नी हेमर
37.	मापक फीता
38.	ई.एन.टी. एग्जामिनेशन सैट
39.	रिफ्लैक्टर (मिरर)
40.	वेइंग मशीन
41.	ट्यूनिंग फार्क
42.	डिस्पोजेबल ग्लब्स
43.	फिजिकल बैलेन्स
44.	सिरिन्ज निडल डेस्ट्रॉयर
45.	एचबीएस ए.जी. किट
46.	सीटी एवम् बी.टी.किट
47.	एक्स-रे मशीन सेट
48.	अल्ट्रा साउण्ड मशीन सेट
49.	ईसीजी मशीन सेट

## (घ) बहिरंग रोगी विभाग के लिए आवश्यक उपकरण और यंत्रों का विवरण

क्रं.सं.	बहिरंग रोगी विभाग का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के मानकों के अनुसार आवश्यक उपकरण, यन्त्र और फर्नीचर आदि
1	स्त्री एवं पुरुष	एक्स-रे व्यूइंग बाक्स
		बी.पी. एप्रेटस
		स्टेथोस्कोप
		छात्रों एवं प्रशिक्षुओं के बैठने की व्यवस्था
		एग्जामिनेशन टेबल
		थर्मामीटर
		टंग डिप्रेसर
		कॉटन बॉल
		टॉर्च
		मेजरिंग टेप
		वेट एण्ड हाइट मेजरिंग स्टैंड
		नी हेमर
		वॉश -बेसिन

## (ड.) एनाटमी विभाग हेतु अपेक्षित उपकरण और यन्त्रों का ब्यौरा

क्र.सं.	अनिवार्य यंत्र और उपकरण	
1. (i)	2-4 शव रखने की क्षमता का टैंक	
(ii)	संरक्षण हेतु रसायन	
2.	डिसेक्शन टेबल सेट्स	चार सेट्स
3.	डिसेक्शन टेबल	
(i)	फुल साईज-स्टील टाप सहित अथवा मार्बल टाप सहित स्टेनलेस	एक
(ii)	हाफ साईज-स्टील टाप सहित अथवा मार्बल टाप सहित स्टेनलेस	दो
<b>4</b>	<b>सामान्य</b>	
(i)	3/4, 1/2, 1/4, 1/8- नम्बरों के बोन कटर-फाईन प्वाइंटिड चेजल बोन डिसेक्टर	
(ii)	सर्जिकल ग्लव्ज़	
(iii)	सर्जिकल ब्लेड	
(iv)	डिस्पोजेबल सिरिंज 05सी.सी, 10सी.सी.ए 20सी.सी.	
(v)	टॉवल	
(vi)	डस्टबिन	
<b>5</b>	<b>फर्नीचर एवं अन्य उपकरण</b>	
(i)	स्टूल(खास तौर से धातु की)	दस
(ii)	वॉश- बेसिन	दो
(iii)	बोन एवं ब्रेन की सेक्शनिंग हेतु मशीन	एक
(iv)	ओ.एच.पी.	एक
(v)	एक्स-रे व्यूइंग बॉक्स अथवा पैनल	तीन
(vi)	विभिन्न माप के कांच के जार	सौ

## (च) फीजियोलॉजी विभाग हेतु अपेक्षित उपकरण और यन्त्रों का ब्यौरा

क्र.सं.	अनिवार्य यंत्र और उपकरण	
1.	माइक्रोस्कोप विद ऑयल इमर्शन	
2.	ई.एस.आर. हेतु वैस्टरग्रीन पीपेट	
3.	हीमाटोक्रिट ट्यूब	
4.	साहली हीमोग्लोबिनोमीटर	
5.	हीमोसाइटोमीटर	
6.	स्टेथेस्कोप	
7.	क्लीनिकल थर्मामीटर	
8.	नी-हैमर	
9.	ट्यूनिंग फोक्स	
10.	इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ	
11.	स्टॉप वाच	
12.	वाटर डिस्टिलेशन स्टिल	
13.	थर्मामीटर, बैलेंस, माइक्रोस्लाइडस	
14.	कवर स्लिप्स, ग्लासवेयर	

15.	स्पीड कंट्रोल सहित सेन्ट्रीफ्यूज
16.	कैलोरीमीटर (फोटो इलेक्ट्रिक)
17.	पी.एच. मीटर (इलेक्ट्रिक)
18.	डिस्क सहित पी.एच. कम्पैरेटर
19.	रेफ्रीजरेटर
20.	न्यूटनस कलर व्हील इन ए बैच
21.	स्पीरोमीटर
22.	टोनोमीटर
23.	हाइड्रोमीटर
24.	वीस्कोमीटर
25.	ओस्मोमीटर
26.	स्टेलगमोमीटर
27.	स्टेरेलाइजर
28.	बी.पी. एप्रेटस
29.	टार्च
30.	मेजरिंग टेप
31.	वेइंग मशीन
32.	पीक फ्लो मीटर
33.	रिऐजेन्ट्स

के. नटराजन, निबंधक-सह-सचिव  
[ विज्ञापन-III/4/असा./283/17 ]

**टिप्पणी :** अंग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अंग्रेजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय सोवा रिग्पा महाविद्यालयों और संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की अपेक्षाएं) विनियम, 2017 को अंतिम माना जायेगा।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2017

**No 18-12/2017- Sowa-Rigpa (MSR).**— In exercise of the powers conferred by clause (j) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, to regulate the requirement of colleges for education in Sowa-Rigpa system of medicine, namely:-

**1. Short title and commencement.**-(1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standards for under-graduate Sowa-Rigpa Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definition.**- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

- “Act” means the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970);
- “college” means an under-graduate Sowa-Rigpa College or Institute;
- “attached hospital” means a teaching Sowa-Rigpa hospital attached to the college; and
- “Central Council” means the Central Council of Indian Medicine.

(2) The words and expression used herein and not defined but defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them in the Act.

**3. Requirements of Minimum Standards to grant permission.**-(1) (a) The Sowa-Rigpa colleges established under section 13A and existing under section 13C of the Act and their attached hospitals shall fulfill the requirements of minimum standard for infrastructure and teaching and training facilities referred to in the regulations 4 to 11 upto the 31<sup>st</sup> December of every year for consideration of grant of permissions for undertaking admissions in the coming academic session;

- (b) the Central Council shall visit the college *suomoto* three months before the expiry of permission;
- (c) the proforma of visit as prescribed by the Central Council on its website shall be filled online by the colleges and visitors respectively followed by submission of a hard copy of the same as per visitors guidelines issued by the Central Council from time to time;
- (d) the videography and photography of staff and infrastructure during the visit shall be made by the visitors and submitted along with detailed report and observations to the Central Council;
- (e) after submission of online detailed report and observations by the visitors to the Central Council, the Central Council shall submit its recommendation along with detailed report to the Central Government within a period of one month from the submission of report by the visitors;
- (f) the Central Council shall certify that teaching faculty present in the college is not working at any other place;
- (g) the position prevailed on the date of visit to assess the fulfilment of requirements as specified in these regulations except sub-regulation (2) of regulation 7 shall be taken into consideration for grant of conditional permission or permission for a period of five years to the colleges.

(2) **Requirements of Minimum Standard to grant permission for a period of five years.**-(a) After fulfilment of the requirement as per these regulations by the college, the permission shall be granted to undertake admissions for a period of five years. The college shall be randomly inspected within the said period on receipt of any complaint, or otherwise as required by the Central Government or by the Central Council;

- (b) any deficiencies arising within the said period shall be fulfilled by the college within hundred-fifty days under intimation to the Central Council otherwise the permission for a period of five years deemed to be withdrawn;

(3) **Requirements of Minimum Standard to grant conditional permission of one year.**-The conditional permission of one year for particular academic session shall be granted only to those colleges which are fulfilling following requirements on the basis of the inspection by the Central Council between the 31<sup>st</sup> December to the 31<sup>st</sup> March for the succeeding academic session:

- (i) the requirement of teachers as specified in the Schedule-V;
- (ii) the requirement of teaching hospital as specified under sub-regulation (2) of regulation 7;
- (iii) availability of minimum seventy-five percent of required equipment as specified in the Schedule-VII.

**4. Requirement of Land.**-(1) The total build up area required for adequate infrastructure including medical college, hospital and other infrastructure required under these regulations, is made available in a single piece of land, not less than one acre, for an intake capacity up to fifteen seats.

- (2) The total constructed area shall be based upon the permissible Floor Area Ratio or Floor Space Index allowed by the authority concerned or local laws or rules.
- (3) For permission of Central Government, a certificate from the local municipal authority certifying or approving the construction plan of the proposed buildings having the required construction area as per the Schedule-I and the Schedule-II which shall be accommodated in the piece of land, shall be provided at the time of applying.
- (4) The land shall be owned by the college or possessed on lease, in the name of the college, for a period not less than ninety-nine years or the maximum permissible period as per rules or regulations of the respective State Government or Union territory and the renewal of permission shall, however, be required on expiry of lease.
- (5) The requirement of the size and possession of the land is not applicable for the colleges established prior to the date of this notification, but at the end of the current lease period, such colleges shall either own the land or get it on the lease for a period not less than ninety-nine years or the maximum permissible period as per rules or regulations of the respective State Government or Union territory.

**5. Requirement of minimum constructed area.**-(1) The college and attached hospital shall have the constructed area of six hundred square meters each for intake capacity up to fifteen seats.

- (2) The college and hospital shall be constructed in separate buildings as per the details specified in the Schedule-I and the Schedule-II and the requirement of separate college and hospital buildings will be applicable only to the colleges established after the date of this notification.

- (3) The college shall also maintain other infrastructural requirements such as sufficient accommodation for college and hospital staff, outdoor and indoor games facility, civil and electrical services and workshop and adequate parking space within the campus of college and hospital.
- (4) The herbal garden shall have the minimum area as prescribed in the Schedule-III.

**6. Admission Capacity.**-The annual intake capacity in under-graduate course shall be in the slabs of fifteen students. The colleges having intake capacity of less than fifteen seats, shall comply the requirements as specified in the Schedules-I to VII.

**7. Requirements of teaching Hospital.**-(1) The teaching hospital shall fulfill all the statutory requirements of the concerned State or Union territory or local authority to establish and run the hospital and shall submit the updated certified copies of such permission or clearance to the Central Government and the Central Council. The concerned State Government or Union territory shall issue the No Objection Certificate to such applicant colleges after verifying the availability of such permission(s) or clearance(s).

- (2) **Requirement of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance.**-The ratio of students with number of beds, In-Patient Department bed occupancy and Out-Patient Department attendance shall be 3:2, forty per cent.and1:2, respectively for under-graduate course, as given in Table below and the distance between two beds in general ward shall not be less than one and a half meter.

Table

Intake capacity per year	Minimum number of beds in In-Patient Department on the 3:2 student-bed ratio	Minimum per day average number of patients in In-Patient Department during last one calendar year (365 days) (40% bed occupancy)	Minimum per day average number of patients in Out-Patient Department during last one calendar year (300days) (1:2 student-patient ratio)
Up to fifteen students	10 beds	04	30

To calculate the number of beds occupied, the college shall maintain the date and time of admission and discharge of each patient. The bed occupied by a patient at mid-night, shall be counted as one bed day occupied and if a patient is discharged before mid-night that shall be counted as 0.5 bed day occupied. To calculate bed occupancy following formula shall be applicable-

Number of bed days occupied X100

Number of beds X Number of days

- (3) **Maintenance of record of attendance of Out-Patient Department and In-Patient Department patients.**-The College and hospital shall maintain the computerised central registration system for maintaining the records of patients in Out-Patient Department and In-Patient Department. The college shall also maintain the Male and Female Out-Patient Department and In-Patient Department records, case papers of Out-Patient Department and In-Patient Department patients, laboratory and radiological investigation reports, medicines dispensing register, diet register for In-Patient Department patients, duty roster of hospital staff, birth and death certificates etc. so as to substantiate the claim of genuine functional Sowa-Rigpa hospital fulfilling the norms as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7.
- (4) **Space requirement.**- The hospital shall accommodate Out-Patient Department and In-Patient Department and wards in addition to reception, patient's waiting area, dispensing room, dressing room, clinical laboratory, radiology section, hospital side pharmacy, kitchen, service rooms, medical record-room, Ls a Nga therapy section, External therapy (Venesection, Moxabustion, Compression, Medicinal bath, Massage, Channel cleansing therapy), Labour Room, Emergency Room, Store Rooms, separate wards for male and female, Duty rooms for Doctors, Nurses and other staff etc. required for a fully functional hospital and the specification of built up area in the attached hospital shall be as per the Schedule-I.
- (5) **Out-Patient Department.**- The hospital shall have separate Out-Patient Departments for male and female.
- (6) **In-Patient Department.**- The In-Patient Department of the hospital shall have separate wards for male and female patients.

- (7) **Clinical Laboratory for clinical diagnosis and investigations.**- There shall be a clinical laboratory in the hospital complex with infrastructure and manpower as specified in the Schedule I, the Schedule-II, the Schedule-IV, the Schedule-V and the Schedule-VII for carrying out routine, pathological, biochemical and hematological investigations and Sowa-Rigpa diagnostic techniques on the patients referred from Out-Patient and In-Patient Departments of the hospital.
- (8) The Sowa-Rigpa teaching hospital may also recommend its patients to the nearest Modern hospital in the absence of clinical laboratory and radiology facilities.
- (9) **Hospital Staff.**-The minimum staff required for hospital shall be as specified in the Schedule-IV.
- 8. Requirements of College.**-(1) **Teaching staff:**- There shall be minimum eleven full time teachers appointed on regular basis for admissions of up to fifteen students as specified in the Schedule-V.
- (2) (a) The age of superannuation of teachers shall be as per the order of the Central Government or State Government or University Grant Commission. The retired teachers, fulfilling the eligibility norms of teachers may be re-employed up to the age of sixty-five years as full time teacher;
- (b) The detail of every teacher such as academic qualification, total teaching experience along with name of previous institutions, date of joining shall be on the website of college; and
- (c) The list of all the teachers with complete detail such as Code allotted by the Central Council, academic qualification, total teaching experience along with name of previous institutions and present institute, shall be displayed at the website of the Central Council.
- (3) **Requirement of technical and other staff.**-Technical and other staff in various units and departments of the college shall be as per the details given in the Schedule-VI.
- 9. Miscellaneous requirements.**-(1) **Office support.**-Dean, Medical Superintendent and each department shall have independent computer and printer facility.
- (2) **College Council.**-(a) Every medical college or medical institution shall have a College Council comprising of the Head of departments as members and Principal or Dean as Chairperson;
- (b) the College Council shall meet minimum four times in a year to draw up the details of curriculum and training programme, enforcement of discipline and other academic matters; and
- (c) the College Council shall also organize interdepartmental meetings like grand rounds, statistical meetings and clinical meetings including periodical research review in the Institution regularly.
- (3) **College Website:** Each and every college or institute shall have its own website wherein the following details updated in the first week of every month shall be provided-
- (a) details of Director or Dean or Principal and Medical Superintendent including their name, age, registration number, qualification, date of joining, complete address with telephone or mobile numbers and State Trunk Dialing code, fax and E-mail etc;
- (b) details of teaching staff along with their photograph, registration number, date of birth, qualification, experience, Department etc;
- (c) details of non-teaching staff of college and hospital staff along with their department;
- (d) details of the sanctioned intake capacity of various courses under graduate as well as post graduates;
- (e) list of students admitted, merit-wise, category-wise for the current and previous year;
- (f) any research publications during the last one year;
- (g) details of any Continuous Medical Education (CME) programmes, conferences and/or any academic activities conducted by the institution;
- (h) details of any awards and achievement received by the students or faculty;
- (i) details of the affiliated University and its Vice-Chancellor and Registrars;
- (j) result of all the examinations of last one year;
- (k) detailed status of recognition of all the courses;
- (l) details of clinical material in the hospital;
- (m) the College website shall be linked with the Central Council website, which shall be linked to the Ministry's website as well; and

(n) The month-wise analysis of attendance of teaching, non-teaching college staff, hospital staff, students and Patients in Out-Patient Department and In-Patient Department shall be displayed on College website.

(4) **Biometric Attendance.**—It is mandatory to have biometric attendance supported with web camera based computerized attendance system for teaching staff, non-teaching college staff and hospital staff.

**10. Phase-wise specific requirements of new colleges.**—(1) Sowa-Rigpa college seeking permission for starting Bachelor of Sowa-Rigpa Medicine and Surgery (Menpa Kachupa) Course under the provisions of section 13A of the Act, shall establish infrastructure and manpower as given below:

(a) Before admission of the first batch of students, the college shall have-

- (i) at the time of submission of application, there shall be a fully developed hospital building as specified regulations 4 and 5 with functional Sowa-rigpa hospital prior one year from the date of application, having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
- (ii) all teachers with the requisite qualifications as specified in Regulation 8 and non-teaching staff as specified in Schedule-VI, which are required for first professional year of teaching and training shall be appointed, and wherever there is shortfall of Professors, equal number of Readers shall be appointed;
- (iii) minimum one specialist doctor or one clinical teacher in each of male and female Out-Patient Department appointed for operating the teaching hospital and the experience of specialist doctor or clinical teacher shall be considered as a teacher from the date of appointment of the specialist doctor or one year prior to submission of application by the applicant to the Central Government to establish a college whichever is lesser;
- (iv) a library with two thousand books, seating capacity of fifteen persons and staff as specified in Schedule-VI;
- (v) well-equipped and furnished two lecture halls, teaching departments, laboratories and museums essential for the first professional year of teaching as specified in Schedules - I to VII;
- (vi) a medicinal plants garden covering over one thousand square meter of land with plantation of minimum thirty species of medicinal plants;
- (vii) all the hospital staff shall be as specified in Schedule-IV; and
- (viii) it is mandatory to have biometric attendance supported with web camera based computerized attendance system for teaching staff, non-teaching college staff and hospital staff.

(b) Before the admission of the second batch of students, the college shall have-

- (i) there shall be a functional Sowa-Rigpa hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
- (ii) all teachers with the requisite qualification as specified in regulation 8 and non-teaching staff as specified in Schedule-VI, which are required for the first and the second professional years of teaching and training shall be appointed, and wherever there is shortfall of Professors, equal number of Readers shall be appointed;
- (iii) minimum one specialist doctor or one clinical teacher in each of male and female Out-Patient Department for working in the college hospital;
- (iv) a library with two thousand and five hundred books, seating capacity of thirty persons and staff as specified in Schedule-VI;
- (v) well-equipped and furnished three lecture halls, teaching departments, laboratories and museums, essential for first and second professional years of teaching as specified in Schedules - I to VII;
- (vi) a medicinal plants garden covering over one thousand square meter of land with plantation of minimum forty species of medicinal plants;
- (vii) all the hospital staff shall be as specified in Schedule-IV;
- (viii) there shall be a Teaching Pharmacy (d Ngul-Chu Tso Jong Khang) and quality Testing Laboratory attached to Department of Pharmacy, with minimum area as specified in Schedule II and equipment as specified in Schedule-VII for preparation of medicine as per syllabus; and
- (ix) it is mandatory to have biometric attendance supported with web camera based computerised attendance system for teaching staff, non-teaching college staff and hospital staff.

(c) Before the admission of third batch of students, the college shall have-



- (i) there shall be a functional Sowa-Rigpa hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
  - (ii) all teachers with the requisite qualification as specified in regulation 8 and non-teaching staff as specified in Schedule-VI, which are required for the first, second and third professional years of teaching and training shall be appointed and wherever there is shortfall of Professors, equal number of Readers shall be appointed;
  - (iii) minimum one specialist doctor or one clinical teacher in each of male and female Out-Patient Department for working in the college hospital;
  - (iv) a library with three thousand books, seating capacity of thirty persons and staff as specified in Schedule - VI;
  - (v) well-equipped and furnished three lecture halls, teaching departments, laboratories and museums, essential for first, second and third professional years of teaching as specified in Schedule - I to VII;
  - (vi) a medicinal plants garden covering over one thousand square meter of land with plantation of minimum fifty species of medicinal plants;
  - (vii) all the hospital staff shall be as specified in Schedule-IV;
  - (viii) there shall be a Teaching Pharmacy (d Ngul-Chu Tso Jong Khang) and quality Testing Laboratory attached to Department of Pharmacy, with minimum area as specified in Schedule II and equipment as specified in Schedule-VII for preparation of medicine as per syllabus; and
  - (ix) it is mandatory to have biometric attendance supported with web camera based computerized attendance system for teaching staff, non-teaching college staff and hospital staff.
- (d) Before the admission of the fourth batch of students, the college shall have-
- (i) there shall be a functional Sowa-Rigpa hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
  - (ii) all teachers with the requisite qualification as specified in Regulation 8 and non-teaching staff as specified in Schedule-VI, which are required for the first, second, third and fourth professional years of teaching and training shall be appointed;
  - (iii) all infrastructure and manpower requirements of college, hospital and other units in accordance with as specified in these regulations 4 to 11;
  - (iv) a library with four thousand books, seating capacity of forty persons and staff as specified in Schedule - VI;
  - (v) a fully developed medicinal plants garden with minimum sixty species of medicinal plants as specified in Schedule - III;
  - (vi) fully functional laboratories and pharmacy with drug testing facilities as specified in Schedules - I to VII;
  - (vii) assured round the clock availability of medical services including medicines, paramedical staff, doctors and emergency management in the hospital; and
  - (viii) it is mandatory to have biometric attendance supported with web camera based computerized attendance system for teaching staff, non-teaching college staff and hospital staff.
- (2) The permission to establish a new medical college and admissions to the students shall be granted initially for a period of one year and shall be renewed on yearly basis subject to verification of achievement of annual targets as specified above in sub-regulation (1).
- (3) It shall be the responsibility of the college to apply to the Central Council for purpose of renewal six months prior to the expiry of the initial permission.
- (4) This process of renewal permission shall continue till such time the establishment of the new medical college is completed for passing-out of the first batch.

**11. List of equipment, machinery, etc.**— To ensure proper provision of teaching and training material to the students, the colleges shall possess the minimum ninety percent. of required equipment, machinery etc. in the teaching departments, hospital, laboratories and dissection hall, library, pharmacy and other units of the college in sufficient numbers, as specified under the Schedules-I to VII.

**12. Date of completion of permission process and cut-off-date for admission in Sowa-Rigpa Colleges.**-(1) The process of grant or denial of permission to the Sowa-Rigpa Colleges for taking admissions in the Sowa-Rigpa colleges shall be completed by the 31<sup>st</sup> July of each academic session.

(2) The cut-off-date for admission in Sowa-Rigpa colleges shall be the 30th September of each academic session.

### SCHEDULE-I

[See regulation 3, regulation 4, regulation 5, regulation 6, regulation 7, regulation 10 and regulation 11]

#### REQUIREMENT OF AN ATTACHED HOSPITAL OF SOWA-RIGPA COLLEGE

Sl. No.	Particulars	Built up area (in square meter) Up to 15 students
(1)	(2)	(3)
<i>Total constructed area of hospital building</i>		<b>600</b>
<b>I. Hospital Administration Block:</b>		<b>50</b>
1.	Superintendent room	
2.	Deputy Superintendent room	
3.	Medical officers' room ( for two Resident Medical Officer)	
4.	Matron room	
5.	Assistant Matron room (for two)	
6.	Reception and Registration	
<b>II. Out-Patient Departments (OPD):</b>		<b>100</b>
1.	Separate OPD for Male and Female patients	
2.	Dressing and First Aid Room	
3.	Dispensary	
4.	Waiting Space for patients	
5.	Store	
6.	Separate Male and Female Toilets for patients and staff	
<b>III. In Patient Departments (IPD):</b>		<b>300</b>
1.	Separate wards for Male and Female patients	
2.	Doctors' duty room with attached toilet and bath	
3.	Nursing staff duty room with attached toilet and bath.	
4.	Store room for linen, etc.	
<b>IV. Las Nga (External and Rejuvenation Therapy) Block:</b>		<b>100</b>
1.	Shel (Male/Female)	
2.	sKyug (Male/Female)	
3.	Na-Men (Male/Female)	
4.	Jam-Tsi (Male/Female)	
5.	Ni-Ruha (Male/Female)	
6.	Tsa-Jong (Male/Female)	
7.	Tar, Sek etc.	
8.	Les-Nga therapist/Physician's room	
9.	Les-Nga store room	
10.	Attached toilet-baths for males and females with wash basin and geyser facility in each. These will be in addition to the toilets of wards.	

<b>V. Hospital Kitchen and Canteen:</b>	<b>35</b>
<b>VI. Store/Mortuary :</b>	<b>15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>600</b>

**Note:**

1. The above indicated subdivided area among various components may vary within plus or minus twenty percent but the total area of attached hospital shall be as per the area specified in regulation 5.
2. The requirement of attached toilet with Out-Patient Department is applicable for the colleges established after the date of this notification.

**SCHEDULE-II**

[See regulation 3, regulation 4, regulation 5, regulation 6, regulation 7, regulation 10 and regulation 11]

**REQUIREMENT OF A SOWA-RIGPA COLLEGE**

<b>Sl. No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Built up area in square meter Up to 15 students</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
	<b>Total constructed area of college building</b>	<b>600</b>
<b>(1)</b>	Administrative Section: Administrative section of the college shall include Principle's Room, Personal Assistant's Room, Reception, Visitor's lounge, Staff Committee room, Clerk's room, Cash and Accounts section, Record room, Central store and separate toilets for gents and ladies.	<b>100</b>
<b>(2)</b>	Lecture Halls: There shall be at least five lecture halls, each having the area of not less than twenty-five square meter area for intake upto fifteen students, with proper electricity supply, audio-visual teaching aids, fans or coolers and comfortable sitting arrangement preferably theatre type. Separate toilets for boys and girls shall be constructed in each floor	<b>125</b>
<b>(3)</b>	Seminar or Conference or Examination Hall: A large hall with sitting capacity for two hundred to three hundred persons shall be available within the college premises for meetings, seminars, conferences, symposia, examination, counseling etc. The hall shall have adequate electrical and sitting arrangement and audio-visual system facilities	<b>100</b>
<b>(4)</b>	Central Library: A central library shall have seating capacity for at least forty persons, adequate number of shelves or almirahs, sufficient space for keeping stocks, separate reading room for teachers, librarian's room, photocopier or video room computer with printer and internet facility. The library shall have proper light arrangement, fans or coolers, drinking water arrangement and toilet facilities. The library shall have two thousand books of different titles of Sowa-Rigpa, modern medicine and allied sciences at the time of first batch admission of students. The number of books shall increase to two thousand five hundred, three thousand and four thousand books respectively before the admission of second, third and fourth batches of students. The college with existence for five years or more shall have four thousand books.	<b>100</b>
<b>(5)</b>	<b>Teaching Departments:</b> There shall be Six Teaching Departments each with rooms for teachers and staff. Department-wise area requirement shall be as under:-	
	(i) rTsar Gyud Department (History & Fundamentals of Sowa-Rigpa )	<b>10</b>
	(ii) Luskyi – gn as lugs & mtshannyid (Anatomy & Physiology)	<b>20</b>
	(iii) S Byorwasman & Zi Ched Sman Gim Do (Pharmacology & Pharmacy)	<b>20</b>
	(iv) G Natrtaksthaps (Pathology)	<b>10</b>
	(v) Lus-Nad Soway Sman & rTsubr Chad (General Medicine & Surgery)	<b>20</b>
	(vi) Monad Sowa & byis pa gsoba (Gynecologist & Pediatric)	<b>15</b>

Sl. No.	Particulars	Built up area in square meter Up to 15 students
(1)	(2)	(3)
(6)	<b>Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory:</b> The college shall have a teaching pharmacy with proper training facilities for preparation of different types of Sowa-Rigpa medicines, a raw drug store and in-house drug identification. Quality Testing Lab of Pharmacy will also be used for teaching.	40
(7)	<b>One Common Room for the student:</b> Separate common rooms for students with sitting arrangement shall be available.	20
(8)	<b>Canteen:</b> Canteen facility with sitting arrangement for about thirty persons shall be available in the college premises.	20

**Note:**

1. The above indicated subdivided area among various components may vary within plus or minus twenty percent. but the total area of Sowa-Rigpa College shall be as per the area mentioned in regulation 5.

**SCHEDULE-III**

[See regulation 3, regulation 5, regulation 6, regulation 10 and regulation 11]

**ALLIED INFRASTRUCTURE REQUIREMENTS OF A SOWA-RIGPA COLLEGE**

Sl. No.	Particulars	Area (in square meter)
		Up to fifteen students
		(3)
(1)	(2)	(3)
(1)	Herbal garden: A well-developed medicinal plant garden with sixty species of medicinal plants.	1000

**Note:** The above indicated area may vary within plus or minus twenty percent. within the total area of Sowa-Rigpa College as specified in regulation 4.

**SCHEDULE-IV**

[See regulation 3, regulation 5, regulation 6, regulation 7, regulation 10 and regulation 11]

**REQUIREMENT OF ASOWA-RIGPA COLLEGE HOSPITAL STAFF**

Sl.No.	Post	Eligibility
(1)	(2)	(3)
1.	Hospital Superintendent/Deputy Medical Superintendent	1. A recognized degree. 2. Principal or Dean as ex-officio. 3. The post of Medical Superintendent shall continue if it is already in existencewith <i>not less than qualification of the professor.</i> Deputy Medical Superintendent 1. A recognized degree. 2. Full time regular incumbent <i>other than the teaching staff.</i>

Sl.No.	Post	Eligibility
(1)	(2)	(3)
2.	Medical Officer (MO)	Two (one Male and one Female )
3.	Matron or Nursing Superintendent	One
4.	Staff Nurses for In Patient Department	One for every five beds.
5.	Ward Boy or Ayah	One for every ten beds.
6.	Pharmacist	One
7.	Dresser	One
8.	Store Keeper	One
9.	Office Staff (for registration, record maintenance, data entry etc.)	One
	<b>Modern Medical Staff</b>	
10.	Medical Specialist	One part time or on contract
11.	Pathologist	One part time or on contract
12.	Radiologist	One part time or on contract
	<i>Staff for Les-Nga (External and Rejuvenation Therapy) Section</i>	
13.	Les-Nga Specialists	Teachers of Lus-Nad Soway Smanandr Tsubr Chad teaching department.
14.	Les-Nga Assistant	One male and One female
	<b>Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory</b>	
15.	<i>Pharmacy Manager</i>	Teacher of Smanbj or (pharmacology).
16.	<i>Peon or Attendant</i>	One
17.	<i>Workers</i>	Two (Need base more number)
	<i>Total:</i>	
	For ten bedded hospital	Nineteen excluding teachers of teaching departments as mentioned above

**Note: -**

- (1) For hospital with more than ten beds, two incumbents each as Medical Officers, Assistant Matrons and Pharmacists shall be additionally required.
- (2) The hospital shall be equipped with adequate provision of security, civil and electrical, sanitation, dietary and canteen, laundry and waste incineration and disposal services.
- (3) Essential duty staff and services shall be available round the clock.
- (4) Services of the non-technical staff like Peon, Attendant, Sweeper, Guards, Washer man, Gardener and Cook etc. may be obtained by outsourcing.

**SCHEDULE-V**

[See regulation 3, regulation 6, regulation 7, regulation 8, regulation 10 and regulation 11]

**DETAILS OF TEACHING STAFF IN ASOWA-RIGPA COLLEGE**

Sl. No. (1)	Teaching Department (2)	Requirement of teaching staff		
		Upto fifteen students (3)		
		Prof.	Asso. Prof.	Asst. Prof.
1.	rTsarGyud Department (History & Fundamentals of Sowa-Rigpa )	---		1 rTsarGyud and 1 Bhoti
2.	Lus kyi - gnas lugs & mtshan nyid (Anatomy & Phsiology)	---		1
3.	sByor wa sman & Zi Ched Sman Gi mDo (Pharmacology & Pharmacy)	1	or 1	2
4.	gNatrtaksthaps (Pathology)	---	---	1
5.	Lus-NadSowaySman&rTsubrChad (General Medicine & Surgery)	1	or 1	2
6.	Monad Sowa &byis pa gsoba (Gynecology&Pediatic)	---		1
		<b>2</b>		<b>9</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11</b>		

**Note:**

- The deficiency of teachers shall not exceed more than ten percent.of total requirement with availability of minimum one teacher in each of six Departments for seeking conditional permission to undertake admission for particular academic session.
- Wherever additional Professors or Readers are available in the department, the additional Professor or Reader shall be considered against the requirement of Reader or Lecturer. For example- in a college with intake capacity from fifteen under graduate seats, if there are three Professors or one Professor and two Readers or one Professor, one Reader and one Lecturer against the requirement of one Professor or Reader and two Lecturer in the Department of sByor wa sman & Zi Ched Sman Gi mDo (Pharmacology & Pharmacy), the college is fulfilling the requirement of faculty in this department and there is no shortcoming of faculty in this department.

**SCHEDULE-VI**

[See regulation 3,regulation 6, regulation 7, regulation 8, regulation 10 and regulation 11]

**DETAILS OF TECHNICAL AND OTHER STAFF OF A SOWA-RIGPA COLLEGE**

S.No (1)	Department (2)	Post (3)	Requirement (4)
1.	Library	Librarian or Assistant Librarian	One
		Library Attendant or Peon	One
2	College Office	Clerical staff for administrative and accounts services	Two
3.	Herbal Garden	Gardener	One
	<b>Total</b>		<b>Five</b>

(The sweeper, attendant, lifter, laboratory assistant, Data Entry Operator (DEO), multipurpose worker may be on contractual basis)

**SCHEDULE-VII**

[See regulation 3, regulation 6, regulation 7, regulation 10 and regulation 11]

**(A). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR SURGERY DEPARTMENT.**

<b>S.No.</b>	<b>Essential Equipment and Instruments</b>
1.	Spot light (Shadow less ceiling fitted)
2.	Needle holding Forceps (big- medium-small)
3.	Aprons
4.	Specimens Jar
5.	Dressing drums of Assorted size
6.	Drum stand
7.	IV Stand
8.	X-ray View Box (double)
9.	Surgeon's gown
10.	Mask and caps
11.	Gauze, cotton and Bandage
12.	Gloves of different size
13.	Cheetles Forceps
14.	Towel Clips
15.	Scissors straight (Tailor)
16.	Scissors curved of different sizes
17.	Stich removal Scissors
18.	Dissection forceps
19.	Sinus Forceps
20.	Probes - Assorted size
21.	Pointed scissors
22.	Kocher's Forceps
23.	Rubber catheters of Assorted size
24.	Metal Catheters
25.	Carrugated Rubber drain
26.	Suturing Needle (straight/curved) of Assorted size
27.	Surgical Thread
28.	Sponge holding forceps
29.	Bougies (Megars)
30.	Allies Forceps small
31.	Allies Forceps Big
32.	Pile holding forceps
33.	Multi parameter Monitor
34.	Ambu Bag
35.	Generator

36.	Emergency light
37.	Fire Extinguisher
38.	Skin grafting knife with handle
39.	Surgical blades of different size
40.	Fumigator
41.	Refrigerator
42.	Nitrous Oxide Cylinder
43.	Exhaust fan
44.	Autolenin Washing Machine
45.	Proctoscope with or without illumination
46.	Revolving Stool
47.	Gabrial Syringe
48.	Strecher with trolley
49.	Mosquito forceps
50.	Needle holder
51.	BP Apparatus
52.	Suction Machine
53.	Golden Needle
54.	Cupping set
55.	Moxabustion set
56.	Golden Hammer set
57.	Silver Hammer set
58.	S Gyogs, dhab, Ching (for fractures)
59.	g Tsag-Bu
60.	Thur-Ma (Surgical Instrument)

**(B). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR sMAN-GOR ( PHARAMACOLOGY) DEPT.**

S.No.	Essential Equipment and Instruments
1.	<b>Khalva Yantra-</b>
a.	Small
b.	Medium
c.	Porcelain
d.	Taptakhalvyantra
2.	<b>Heating Device-</b>
a.	Gas Stove
b.	Electric stove
c.	Hot plate
d.	Chulla (Charcoal)
3.	<b>Vessels-</b>



a.	Frying Pan
b.	Steel Vessel
c.	Spatula
d.	Ladles and Spoons
e.	Knife
f.	Plates
g.	Samdamsa Yantra (Tongs)
4.	Measuring Equipments Different Size (Glass)
5.	Big Vessels and Containers-
a.	Brass
b.	Copper
c.	Steel etc.
6.	Balance (Different Capacities)
a.	Physical
b.	Chemical
7.	Pounding Apparatus (Ulukhala Yantra)
8.	Sieves (Assorted Nos. and Size)
9.	Wet Grinder
10.	Mixi
11.	Juice Extractor
12.	Putas (Different kind)
13.	Pyrometer
14.	Thermo meter
15.	Pressure Cooker
16.	Moosha (Crucibles)
17.	Koshti with Blower
18.	Refrigerator
19.	Jars (Porcelain) Fermentation Purpose
20.	Yantras
a.	Dola Yantra
b.	Valuka Yantra
c.	Pithara Yantra
d.	Bhudhara Yantra etc.
21.	Distillation Apparatus and Arka Yantra
22.	Enamel Trays
23.	Spirit Lamp
24.	Microscope
25.	Earthen Vessels-Pots
26.	Kupipakva Bhatti
27.	Almiras and Racks for storage

28.	Mortar and Pestle of different sizes
29.	Small Grinding Machine
30.	Stone Slab
31.	Container of Medicinal Wine

**(C). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR CLINICAL LABORATORY**

S.No.	Essential Equipment and Instruments
1.	Binocular microscope
2.	X-ray view box
3.	Sterile disposable lancer/needle
4.	Hb pipette
5.	Dropper
6.	Glass rod
7.	WBC Pipette
8.	Improved Neubauer chamber
9.	Cover slip
10.	Red cell pipette
11.	Cleaned slides
12.	Incubator
13.	Centrifuge Graduate machine
14.	Westergrens pipette
15.	Westergrens's stand
16.	Litmus paper
17.	pH indicator paper strips
18.	Bunsen burner
19.	Test tube
20.	Test tube holder
21.	Filter paper
22.	Steel almirah
23.	Steel rack
24.	Glass Jars with lid of different sizes
25.	Glass view rack
26.	Magnifying lens
27.	Stop watch
28.	Hot air oven
29.	Refrigerators
30.	Sterile vessels/bottle to collect samples
31.	BP Apparatus
32.	Stethoscope
33.	Thermometer

34.	Tongue depressor
35.	Torch
36.	Knee hammer
37.	Measuring Tape
38.	ENT examination set
39.	Reflectors(Mirrors)
40.	Weighing machine
41.	Tuning Forks
42.	Disposable Gloves
43.	Physical balance
44.	Syringe needle destroyer
45.	HBs Ag kit
46.	CT and BT kit
47.	X- Ray Machine Set
48.	Ultra Sound Machine Set
49.	ECG Machine Set

**(D). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR OUT PATIENT DEPARTMENT**

Sl. no.	Name of Out-Patient Department	Equipment, Instrument, Furniture etc required as per norms of CCIM
1	Male & Female	X-Ray View Box
		BP Apparatus
		Stethoscope
		Sitting arrangement for internees/students
		Examination Table
		Thermometer
		Tongue depressor
		Cotton balls
		Torch
		Measuring tape
		Weight and height measuring stand
		Knee Hammer
		Washbasin

**(E). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR ANATOMY DEPARTMENT**

S. No.	Essential Instruments and Equipments	
1. (i)	Tank with a capacity to preserve 2-4 bodies.	
(ii)	Preservative Chemicals	
2.	Dissection Tables Sets	Four sets
3.	Dissecting Table	

(i)	Full size with steel top or marble top stainless	One
(ii)	Half size with steel top or marble top stainless	Two
4.	Miscellaneous	
(i)	Bone cutter of the numbers $\frac{3}{4}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{4}$ , $\frac{1}{8}$ – fine pointed Chisel bone dissector	
(ii)	Surgical gloves	
(iii)	Surgical blade	
(iv)	Disposable syringe – 20cc, 10cc, 5cc	
(v)	Towels	
(vi)	Dustbin	
5.	Furniture and Other Equipments	
(i)	Stools preferably of metal	Ten
(ii)	Wash basin	Two
(iii)	Machines for bones and brain sectioning	One
(iv)	OHP	One
(v)	X-ray viewing box or panels	Three
(vi)	Glass jars of different sizes	Hundred

**(F). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR PHYSIOLOGY DEPARTMENT**

S. No.	Essential Instruments and Equipments
1.	Microscopes with oil immersion
2.	Westergren's pipette for ESR
3.	Haematocrit Tube
4.	Sahli's Haemoglobinometer
5.	Haemocytometer
6.	Stethoscope
7.	Clinical Thermometer
8.	Knee Hammer
9.	Tuning forks
10.	Electrocardiograph
11.	Stop watches
12.	Water Distillation still
13.	Thermometers, balances, Micro slides
14.	Cover slips, glassware
15.	Centrifuge with speed control
16.	Colorimeter (Photoelectric)
17.	pH Meter (Electric)
18.	pH Comparator with disc
19.	Refrigerator
20.	Newton's colour wheel in a batch

21.	Spirometer
22.	Tonometer
23.	Hydrometer
24.	Viscometer
25.	Osmometer
26.	Stalagmometer
27.	Sterilizer
28.	BP Apparatus
29.	Torch
30.	Measuring Tape
31.	Weighing machine
32.	Peakflowmeter
33.	Reagents

K. NATARAJAN, Registrar-cum-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./283/17]

**Note:** If any discrepancy is found between Hindi and English version of Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standards for under-graduate Sowa-Rigpa Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2017 the English version will be treated as final.